रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जुलाई, 2014

सं. टीएएमपी/62/2009–पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, पारादीप पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/62/2009–पीपीटी

कोरम :

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई, 2014 के चौथे दिन पारित)

यह मामला पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2.. पीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/62/2009–पीपीटी दिनांक 25 मार्च 2011, जिसे 23 मई 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण पीपीटी के दरमान की वैधता को कई बार विस्तारित कर चुका है; अंतिम विस्तार आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2014 द्वारा 31 जून 2014 तक था।

3. पीपीटी ने मौजूदा दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दिनांक 27 अगस्त 2012 को दाखिल किया गया था जिसे प्रशुल्क मामला रूप में पंजीकृत किया गया था और विचार–विमर्श के लिए लिया गया था। प्रस्ताव की आंतरिक संवीक्षा की गई है और इस मामले में संयुक्त सुनवाई 25 फरवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

4.1. जब इस प्राधिकरण के अंतिम विचार के लिए मामला तैयार किया जा रहा था, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 अक्तूबर 2013 द्वारा निवेदन किया था कि वित्तीय वर्ष 2012–13 पहले ही समाप्त हो चुका है और वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं जिन पर विचार किया जा सकता है क्योंकि प्रहस्तित किए जाने के लिए

अनुमानित कार्गो मिश्रण में बदलाव किया गया है और तेल कार्गो में काफी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, 12 अक्तूबर 2013 को सघन चक्रवात की वज़ह से, पत्तन को उसकी सम्पत्तियों का नुकसान हुआ है जिसका अनुमान रु. 82.71 करोड़ है। पीपीटी ने नुकसानों की भरपाई के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। परन्तु, यदि अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है, तो पीपीटी को अपने आंतरिक संसाधनों से पुनर्निर्माण की लागत को पूरा करना होगा जिससे इसके आंतरिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा।

4.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, पीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव जमा करने के लिए तीन माह के समय की मांग की थी और मौजूदा दरमान के अनुसार प्रशुल्क की लेवी की गणना करने के लिए अनुरोध किया था। पीपीटी द्वारा उल्लिखित कारणों से, इसे अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 जनवरी 2014 तक का समय दिया गया था। चूंकि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 17 फरवरी 2014 द्वारा अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए अनुस्मरण करवाया गया था। पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 28 फरवरी 2014 द्वारा उल्लेख किया था कि वह सरकार द्वारा संभवतः अंतिम रूप दिए जाने वाले नये दिशानिर्देशों के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में पीपीटी को 1 मई 2014 को भेजे गए पत्र में पीपीटी को उसका प्रस्ताव 2005 के लागू प्रशुल्क दिशानिर्देश के तहत दाखिल करने की सलाह दी गई थी। अतः, पीपीटी को सलाह दी जाती है कि 2005 के लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन अपना संशोधित प्रस्ताव 31 अगस्त 2014 तक दाखिल करने की सलाह दी गई थी।

5. इसी बीच, मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 30 जून 2014 को समाप्त हो रही है। यह स्वीकार करते हुए कि पीपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करना है और पीपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए तैयार किए जाने में समय लगेगा, इसलिए यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता इसकी समाप्ति की तारीख से 30 सितम्बर 2014 तक अथवा संशोधित दरमान कार्यान्वित करने की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रोद्भूत होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[सं. विज्ञापन/III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2014

No. TAMP/62/2009-PPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/62/2009-PPT

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of July 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of PPT on couple of occasions; the last extension being till 30 June 2014 vide Order dated 4 April 2014.

3. The PPT has filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August 2012 which was registered as tariff case and taken on consultation. The proposal has been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February 2013.

4.1. When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, vide its communication dated 30 October 2013, submitted that as the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the year 2012-13

are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October 2013, port has suffered damages to its properties which is estimated to be around ₹ 82.71 crores. The PPT has stated that if its request to Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.

4.2. In view of the above position, the PPT has sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR and has requested for continuation of levy of tariff as per existing SOR. For the reasons stated by PPT, it was allowed time till 31 January 2014 to file its revised proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17 February 2014. The PPT vide its letter dated 28 February 2014 has stated that it will submit its proposal as per new guidelines likely to be finalised by the Government. A letter to PPT in this regard advising PPT to file its proposal under the applicable tariff guidelines of 2005 was issued on 1 May 2014. Revised proposal from PPT is awaited. The PPT is, therefore, advised to file its revised proposal by 31 August 2014 under the applicable tariff guidelines of 2005.

5. In the meantime, the extended validity of the existing SOR expires on 30 June 2014. Recognizing that the PPT is yet to file its revised proposal it will take time for the case to mature for final consideration after receipt of the revised proposal (to be) filed by the PPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the PPT from the date of its expiry till 30 September 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the PPT post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[No. ADVT-III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.